समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

दिनांक 06-03-2017 को मो0 सोहेल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस वर्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल में जिले के विभिन्न अंचलों में अग्निकाण्ड की संभावना काफी बढ़ जाती है। साथ ही अग्निकाण्ड से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अग्निकाण्ड से होने वाली आपदाओं से निपटने हेतु इसकी पूर्व तैयारी आवश्यक है ताकि इस प्रकार का आपदाओं से कम से कम क्षति हो सके। दोनो अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा जिला द्वारा माइकिंग के माध्यम से 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक खाना नहीं बनाने की हिदायत दी गई है। बीड़ी, सिगरेट पीने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि आपके कारण आगलगी की घटना होती है और जांच के क्रम में आपकी लापरवाही अथवा साजिश का पता चलता है तो आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत् आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

01. अग्निशामक :-

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि जिले में 04 बड़ी एवं 03 छोटी कुल-07 अग्निशामक उपलब्ध है, जिसमें 02 बड़ी एवं 02 छोटी चालू हालत में है तथा 02 बड़ी एवं 01 छोटी खराब है। अग्निशामक चालक मात्र-02 है, जो छोटी अग्निशामक वाहन ही चलाता है। एक अग्निशामक वाहन चालक लम्बे समय से बीमार है। विभाग से अग्निशामक चालक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध भी किया गया है। लेकिन अभी तक अग्निशामक चालक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। पिछले वर्ष जिला स्तर पर निजी चालक की प्रतिनियुक्ति कर कार्य लिया गया था। लेकिन विभाग द्वारा उसके मजदूरी का भुगतान हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। आपातस्थिति से निपटने के लिए अग्निशामक चालक की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निदेश दिया गया कि दो होमगार्ड के जवान को चिन्हित करते हुए चालक के रूप में दिनांक-30.06.2017 तक के लिए प्रतिनियुक्ति करने हेतु समादेष्टा, मधेपुरा से अनुरोध की जाय। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसकी सहमति दी गई।

02. अग्निशामक वाहन की तैनाती :-

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि प्रायः देखा जाता है कि आगजनी की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् जिले से अग्निशामक वाहन घटना स्थल पर विलंब से पहुँचते है, जिसके कारण या तो बहुत घर अग्निकाण्ड में जल चुके होते है या ग्रामीणों द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत् बुझा देते है। अतः अग्निशामक वाहन को मधेपुरा जिला के कुछ चिन्हित अंचलों में प्रतिनियुक्त की जाय, ताकि सूचना प्राप्त होते ही तुरंत अग्निशामक वाहन घटना स्थल पर पहुँच सके।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निदेश दिया गया कि तीन अग्निशामक वाहन की तैनाती यथा- मधेपुरा, सिंहेश्वर एवं उदाकिशुनगंज अंचलों में की जाय, ताकि सूचना प्राप्त होते ही तुरंत अग्निशामक वाहन घटना स्थल पर पहुँच सके। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसकी सहमति दी गई।

03. स्थानीय स्तर पर पम्पसेट की व्यवस्था :-

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सुदूर क्षेत्रों में आगजनी की सूचना प्राप्त होते है। जहाँ अग्निशामक वाहन पहुँचने में कठिनाई उत्पन्न होती है या लेट से पहुँचते है। अग्निशामक वाहन के लेट से पहुँचने के कारण आग लगने से बहुत घर जल चुके होते है अथवा सम्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आग लगने पर तुरंत आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर डीजल पम्पसेट से आग बुझाना श्रेस्यकर माना जा सकता है, ताकि आगजनी के घटना को कम किया जा सके।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक-09.07.2016 को पटवन हेतु त्रिस्तरीय समिति के माध्यम से पम्पसेट का दर निर्धारित किया गया है। निर्धारित दर के आधार पर 3 एच0पी0, 5 एच0पी0 एवं 8 एच0पी0 का दर मजदूरी सहित निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

क्र0 सं0	पम्पसेट की अश्वशक्ति	दर प्रति घंटा	मजदूरी	पाईप इत्यादि का भाड़ा	घटना स्थल तक पहुँचाने हेतु भाड़ा	पम्पसेट मजदूरी एवं घटना स्थल तक पहुँचाने हेतु भाड़ा सहित कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	3HP	रू.85/- प्रति घंटा	267	100	50	500
2	5HP	रू.100/- प्रति घंटा	267	100	50	515
3	8HP	रू.110/- प्रति घंटा	267	100	50	525

उपरोक्त राशि का व्यय अंचल अधिकारी जनसंख्या का निष्क्रमण मद मद से करेंगे एवं पीड़ित परिवारों से इस आशय का प्रमाण पत्र लेंगे कि स्थानीय व्यवस्था के तहत् पम्पसेट से आग बुझाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसकी सहमति दी गई।

04. ई0ओ0सी0 का निर्माण :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आगजनी की घटना होने की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत कार्रवाई हेतु जिला एवं अंचल स्तर पर आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित की जाय। जिला स्तर पर अधिष्ठापित आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई0ओ0सी0) को तुरंत संचालित किया जाय। अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा ई0ओ0सी0 संचालन हेतु आदेश निर्गत करेंगे। ई0ओ0सी0 24 घंटा (अवकाश के दिन भी) कार्यरत रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसकी सहमति दी गई।

05. आगलगी के रोकथाम हेतु "क्या करें, क्या न करें" :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आगलगी की घटना के रोकथाम हेतु "क्या करें क्या न करें" (Do's & Don'ts) से संबंधित प्रारूप विभाग से उपलब्ध कराया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया

जाता है कि वे प्रारूप का 2000 पम्पलेट स्थानीय बाजार से छपवाकर विभिन्न स्कूलों/पंचायतों/सरकारी कार्यालयों एवं बाजारों आदि में आमजनता के बीच सार्वजनिक स्थानों पर वितरित कराया जाय एवं चिपकाया जाय। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसकी सहमति दी गई।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा	अध्यक्ष, जिला परिषद, मधेपुरा	जिलाधिकारी, मधेपुरा।
जिला के वरियतम अभियंता	सिविल सर्जन, मधेपुरा	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा

ज्ञापांक-....102..../ आ० प्र०, मधेपुरा, दिनांक-....06..../...03..../2017

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी /सभी अभियंता, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी अग्निशामक पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा	अध्यक्ष, जिला परिषद, मधेपुरा	जिलाधिकारी, मधेपुरा।
जिला के वरियतम अभियंता	सिविल सर्जन, मधेपुरा	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा